संख्या– 305 /26–ब0प्र0–2012–10(10)/2005–टी0सी0–1

प्रेषक,

बी0 बी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण

लखनऊ, दिनांकः 09 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2012

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–83 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–1515/दस–2012–231/2012, दिनांक 09 जुलाई, 2012, जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–83 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन हेतु खर्चो को वहन करने के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार रू0 10,79,71,000(रूपये दस करोड़ उन्यासी लाख इकहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि हजार रू0 में)

अनुदान संख्या/योजना /मद का नाम	स्वीकृत की जा रही धनराशि
अनुदान संख्या–83–आयोजनागत–	
2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण– 789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना– 12–राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–	
01–वेतन–	7720
02–मजदूरी	473
03–मंहगाई भत्ता	5327
04–यात्रा व्यय	170
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय–	109
06–अन्य भत्ते	1191
07–मानदेय–	85
08–कार्यालय व्यय–	370
09–विद्युत देय	3333
10–जलकर/जल प्रभार	33
11–लेखन सामग्री और फार्मा की छपाई	322
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4481

13–टेलीफोन पर व्यय	105
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	18378
17–किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	17
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	250
26–मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	867
29–अनुरक्षण	352
39–औषधि तथा रसायन	298
41–भोजन व्यय	63600
42–अन्य व्यय	120
45–अवकाश यात्रा व्यय	135
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	137
49–चिकित्सा व्यय	85
51–वर्दी व्यय	13
योग–	107971

(रूपये दस करोड़ उन्यासी लाख इकहत्तर हजार मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2012–13 में पूरे वर्ष के लिए है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था/किसान पेंशन को छोड़कर अन्य योजनाओं में कोषागार से धनराशि का आहरण चार त्रैमासिक किस्तों में किया जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन हेतु चालू शैक्षिक सत्र 2012–13 के लिए है तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय संचालन होने की दशा में ही सज्जा/उपकरण आदि का क्रय किया जायेगा तथा संबंधित क्रय समय–समय पर निर्गत शासनादेशों तथा स्टोर परचेज नियमों के तहत किया जायेगा। कम्प्यूटर आदि का क्रय आई0टी0 इलेक्ट्रानिक्स विभाग के संगत शासनादेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि भरे हुए पदों के सापेक्ष व्यय की जायेगी।

(3) शासन द्वारा निर्धारित मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का उपयोग स्वीकृत की जा रही उपर्युक्त उल्लिखित मानक की मदों में ही किया जायेगा। किसी भी मद में व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

(4) वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्वीकृत की गयी धनराशि तथा स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र समय से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा और जो धनराशि व्यय हेतु अवशेष बच जाय उसे शासन को समयान्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

2– उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय व्यय 2012–13 के आय व्ययक में अनुदान सं0–83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–आयोजनागत–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–12–राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के अंतर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–बी–1–1515/दस–2012–231/2012, दिनांक 09 जुलाई, 2012 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी0 बी0 सिंह)
विशेष सचिव

संख्या– 305 (1)/26–ब0प्र0–2012 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2– महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त(आय व्ययक) अनुभाग–1/2
5– राज्य योजना आयोग अनुभाग–1/2
6– निदेशक एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
7– सलाहकार, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
8– गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(धर्मराज सिंह)
अनु सचिव